Research Paper IMPACT FACTOR VALUE : 5.983 | E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 11 | ISSUE : 10 |OCTOBER 2025

चुनाव आयोग में ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता

डॉ. मनु सिंह [1] | हुकमी चन्द [2]

[1] सुपरवाइजर, राजनीति विज्ञान विभाग, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर.

[2] शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर.

ABSTRACT:

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में भारत प्रथम रहा है। जिसमें चुनाव की निष्पक्षता व पारदर्शिता लोकतंत्र के आधार स्तंभ माने गए हैं। भारत की चुनाव प्रणाली में लंबे समय से मतपत्र पर आधारित चुनाव होने के कारण उन में धान्धली बूत कैप्चरिंग अधिक खर्चीला होना और मतगणना में देरी आदि चुनौतियां देखने को मिलती थी। इन सभी समस्याओं के निवारण हेतु चुनाव आयोग द्वारा 2004 में पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत की। इसके साथ ही 2013 में लोगों की भ्रांति दूर करने के लिए वोटर वेरीफाए बल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) को जोड़ा गया। जिससे लोगों के मन में चुनाव के प्रति पारदर्शिता बनी रहे।

ईवीएम की विश्वसनीयता के लिए कुछ प्रामाणिक तथ्य जैसे मशीन का इंटरनेट से कोई जुड़ाव नहीं होना, मशीन का हैंक न होना, मतगणना में तेजी, इन सभी को सर्वोच्च न्यायालय व चुनाव आयोग दोनों ने स्वीकार किया। दूसरी तरफ कुछ विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम की पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े किए। जिससे आम नागरिक मतदाताओं के बीच विश्वास की स्थिति उत्पन्न हुई। इस स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा वीवीपीएटी को जोड़ा मशीनों की रेंडम टेस्टिंग, मॉक पोलिंग व सुरक्षित उपाय को अपनाया। जिससे ईवीएम की विश्वसनीयता को सुदृढ़ता मिल सके।

KEYWORDS:

चुनाव आयोग, ईवीएम, वीवीपीएटी, निर्वाचन प्रक्रिया, लोकतंत्र, पारदर्शिता, चुनाव सुधार।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
2nd October 2025	4th October 2025

परिचय-

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जिसमें जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन किया जाता है हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है जहां प्रत्यक्ष रूप में हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली में केवल वोट डाल कर मुक्त हो जाना ही नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक को संविधान के द्वारा प्राप्त राजनीतिक अधिकार व शासन में हर नागरिक की राजनीतिक भागीदारी निभाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में हमारे लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष पारदर्शी और विश्वसनीयता ही लोकतंत्र की सफलता की मूल आधार माने जाते हैं

स्वतंत्रता के बाद से लेकर काफी लंबे समय तक भारत में चुनाव मत पत्र बुलेट पेपर के माध्यम से कराया जाता था। लेकिन मतपत्र के माध्यम से होने वाली चुनाव प्रक्रिया में काफी धान्धली, चुनाव बूथ को कैपचरिंग करना , चुनाव में व्यय की अधिकता और मतगणना काफी देरी से हो ना आदि समस्याएं हमें देखने को मिलती थी। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए चुनाव आयोग ने एक ऐसे उपकरण की खोज में थे जिससे इन समस्याओं से छुटकारा पा सके और लोगों के मन में चुनाव आयोग के प्रति एक पारदर्शी निष्पक्ष छवि बनी रहे। क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग और इस युग में दिनों दिन हमारे अनेक विशेषज्ञों ने दूसरे देशों की ओर ध्यान खींचना शुरू कर दिया। उसी की तर्ज पर चुनाव आयोग ने तकनीकी नवाचार के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग प्रारंभ किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनाना था लेकिन जब से ईवीएम मशीन के प्रयोग से लेकर वर्तमान तक मतो में अंतर को लेकर मशीन की विश्वसनीयता पर अनेक प्रश्न खड़े हो गए। वर्तमान में ईवीएम का मुद्दा सबसे हावी है और भारतीय लोकतंत्र में विचार विमर्श का मुख्य मुद्दा बन गया।

भारत में ईवीएम की उत्पत्ति और विकास

जब हम ईवीएम के विकास की बात करें तो 1980 दशक से इसकी शुरुआत मानी गई। जिसमें मुख्य रूप से दो कंपनियां

1. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ECIL इन दोनों ने मिलकर ईवीएम का निर्माण किया। सर्वप्रथम इसका प्रयोग1982 में

केरल के पारुर विधानसभा चुनाव में किया गया लेकिन वह सीमित स्तर पर ही था। इसके बाद बड़े व्यापक स्तर पर 1999 में गोवा के विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया। 2004 में लोकसभा चुनाव में संपूर्ण भारत देश में ईवीएम का प्रयोग अपना लिया गया। काफी लंबे वर्षों से विश्व के इतने बड़े लोकतंत्र देश में अचानक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग करना एक ऐतिहासिक परिवर्तन था।

दुनिया का सबसे बड़ा सहभागी लोकतंत्र जिसमें संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों के अधीक्षक निदेशन और नियंत्रण का संवैधानिक अधिकार भारत चुनाव आयोग को सोपा गया। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। जिसने पिछले कई वर्षों से लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिए निष्प क्ष स्वतंत्र विश्वसनीय व जागरूक तरीके से निर्वाचनों का संचालन किया। आयोग ने गत 23 वर्षों से राज्य विधानसभाओं के 113 निर्वाचन और 3 लोकसभा निर्वाचन का संचालन करने में ईवीएम का सफलतापूर्वक उपयोग किया। 2014 में जब लोकसभा निर्वाचन हुआ तब सभी मतदाताओं ने ईवीएम का उपयोग करते हुए मताधिकार का प्रयोग किया। भारत में मतदान प्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए। सन 1952 और 1957 में लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति को अलग से मत पेटी दी गई जिस पर उस व्यक्ति का प्रतीक चिन्ह चस्पा किया गया था। व्यक्ति का नाम व संकेत चिन्ह मतप त्र पर मुद्रित नहीं किया गया था। मतदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार मतपत्र बॉक्स में गिराते थे। इस प्रक्रिया से अनेक हितधारकों के दिमाग में छेड़छाड़ बूथ कैपचरिंग व गड़बड़ी होने का संदेश बना रहता था। इसलिए इसे जल्द ही परिवर्तन कर दिया गया। 1960-61 में केरल उड़ीसा के मध्यावधि चुनाव में चिन्हित करने की प्रणाली अपनाई गई जो 1999 के लोकसभा चुनाव तक जारी रही। ईवीएम शुरू करने से पहले मत डालने के लिए मत पत्रों का उपयोग बहुत सफलतापूर्वक किया गया था जिसमें ज्यादा समय खराब होता था। जिसमें बूथ कैपचरिंग, वह मतपत्र बक्से में जबरदस्ती मतपत्र ठूसने जैसी कुप्रथा,अमान्य मतों की ज्यादा

संख्या होना, मतगणना ज्यादा समय तक जारी रहना, परिणाम में देरी की संभावना बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में ईवीएम मशीन को उपयोग में लाने के बाद मतदान का तरीका सरल हो गया। जिसमें समय की बचत , धन की बचत, कोई भी मत अमान्य नहीं, यह प्रणाली लेखा परीक्षण के लिए उचित पारदर्शी सुरक्षित थी। यह प्रणाली मानव की गलतियों को सुधारने में मदद भी करती है। भारत में हजारों की संख्या में मतदाता होने के कारण अनेक दिन व सप्ताह लगते थे। उसको कुछ ही घंटे में परिणाम तैयार हो जाता है। जिससे समय की बचत होती है। साथ ही मत पत्रों को तैयार करने में बहुत ज्यादा पेपर मुद्रण व कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है जिसको कम करने में ईवीएम हमारी मदद करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम के लिए निर्देश जारी किए। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में निरक्षरता व आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ईवीएम के प्रति संदेह व्यक्त किया। अक्सर गरीब, अनपढ़, वंचित वर्ग, ग्रामीण में निवास करने वाले लोग ,ईवीएम का प्रयोग करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करेंगे उसके लिए उनमें जागरूकता लाने के लिए शिक्षा संचार का प्रोग्राम रखा जाए। जिससे लोग ईवीएम को समझ सके तथा उसके प्रति भ्रांति दूर कर सके। चुनाव आयोग की मुख्य विशेषताओं में मत पेटी के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करना। सन 1977 में सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में इसकी डिजाइन तैयार करने का कार्य सोपा गया। जो 1979 में तैयार की गई। 1980 में इसको राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने पेश की। जिससे सब की सहमति के आधार पर इसके निर्माण के लिए ECIL के साथ-साथ BEL बेंगलुरु को जोड़ा गया।

वाटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)

जब दिनांक 4 अक्टूबर 1910 को राजनीतिक दलों की बैठक में सभी दल ईवीएम से संतुष्ट हुए लेकिन कुछ दलों ने इसको और ज्यादा विश्वसनीय व पारदर्शी बनाने के लिए वाटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के उपयोग पर विचार करना शुरू किया विशेषज्ञों की समिति द्वारा ईवीएम और वीवीपीएटी प्रणाली संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर दोनों को एक साथ जोड़ दिया। जिसको 2011 में लद्दाख (जम्मू कश्मीर) तिरुवंतराम (केरल) चेरापूंजी (मेघालय) पूर्व दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) तथा जैसलमेर (राजस्थान) में व VVPAT क्षेत्र का सर्वे हेतु मिथ्याभाषी निर्वाचन संचालित किया। वीवीपीएटी को ईवीएम के साथ एक स्वतंत्र प्रणाली जो मतदाताओं को विश्वसनीयता में सहायता करता है की जो भी मत डाले गए वह सही डाले हैं या नहीं। चुनाव आयोग द्वारा 2014 में भारतीय आम चुनाव में वीवीपीएटी वाली ईवीएम का परीक्षण किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी चुनाव में 2019 के फैसले के बाद वीवीपीएटी के साथ ईवीएम का प्रयोग किया गया। भारत के निर्वाचन आयोग ने इन मशीनों को जांच कर छेड़छाड़ रहित बताई। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में एक संशोधन किया। जिसमें ईवीएम के उपयोगिता को मान्यता दी। जो 1989 में लागू हुआ। 1961 में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संचालन नियम 1961 में काफी परिवर्तन किए थे। वोट को नागालैंड में 2013 के उपचुनाव में प्रयोग किया। उसके बाद 2014 के भारतीय आम चुनाव में आठ लोकसभा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया।

ईवीएम की प्रक्रिया- इसकी मुख्य दो इकाईयां पाई जाती है 1.

1. कंट्रोल यूनिट

2. बुलेट यूनिट

1. कंट्रोल यूनिट - यह यूनिट चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए मतदान अधिकारी के पास रहती है जिसमें मतों की संख्या दर्ज होती है

2. बैलेट यूनिट- यह मत देने वाले के सामने रहती है जिसमें वह अपनी पसंद के अनुसार प्रत्याशियों के नाम व चुनाव चिन्ह देख सके। इसमें मत देने वाला वोटर अपनी पसंद के अनुसार बटन दबाकर वोट डालता है। उस वोट को सुरक्षित रूप से संग्रह करने का कार्य कंट्रोल यूनिट करती है

VVPAT 2013 में इसको ईवीएम मशीन के साथ जोड़ दिया गया . जिसमें वोट देने वाला वोट देकर इस समय अपनी पर्ची देख सकता है कि जिसको वोट दिया वह सही दिया या नहीं अर्थात वोट डालने के बाद वोट दर्ज हो जाता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक पारदर्शी खिड़की में दिखाई देती है। फिर सुरक्षित बॉक्स में गिर जाती है जिससे मतदाता को पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त हो जाती है।

ईवीएम की विश्वसनीयता के पक्ष में तर्क

1. स्वतंत्र व सुरक्षित प्रणाली

ईवीएम का सर्वे करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि ईवीएम किसी भी प्रकार के नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं होती क्योंकि इसको तकनीकी सुरक्षा प्रदान की गई है। जिसे हैक भी नहीं किया जा सकता है।

2. चुनाव नतीजा की गति व सटीकता

पहले मतपत्र की गणना करने पर अनेक दिन लग जाते थे . तब गणना करते समय गलतियां होने की ज्यादा संभावना बनी रहती थी लेकिन जब से यह तकनीक की मशीन आई . तब से परिणाम निकलने में ज्यादा देरी नहीं लगती है। इससे समय की भी बचत होती है।

3. धान्धली में कमी

जब मतपत्र से मतदान होता था तब बूथ कैपचरिंग व बुलेट बॉक्स की लूट बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन जब से ईवीएम मशीन का उपयोग होने लगा तब से एक व्यक्ति केवल एक ही वोट डाल सकता है। जिससे फर्जी मतदान पर रोक लगी।

4. न्यायपालिका की मान्यता

विपक्ष के अनेक राजनीतिक दलों द्वारा विरोध करने और न्यायपालिका में चुनौती दायर करने के बाद भी भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने ईवीएम मशीन को विश्वासी व सुरक्षित बताया है। 2013 में सर्वोच्च न्यायपालिका ने कहा कि वीवीपीएटी के जुड़ने से और ज्यादा पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।

5. दूसरे देशों से मान्यता

विश्व के अनेक देशों द्वारा ईवीएम मशीन को उचित बताया तथा मान्यता प्रदान की जिसमें ब्राज़ील फिलिपींस भूटान आदि ने आधुनिक निर्वाचन प्रणाली का अंग माना।

ईवीएम की विश्वसनीयता के विपक्ष में तर्क

1. राजनीतिक भ्रांति

विपक्ष के अनेक राजनीतिक दलों ने चुनाव परिणाम आने के बाद ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है क्योंकि जब हार जीत के बीच हजारों मतों की संख्या का अंतर आ जाता है . तब राजनीतिक संदेह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लोगों को चुनाव के प्रति उदासीनता और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

2. पारदर्शिता में कमी

कई विरोधियों का मानना है की ईवीएम मशीन पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है क्योंकि हर कोई साधारण आम मतदाता इसकी तकनीकी कार्य प्रणाली को समझ नहीं सकता। जब एक शिक्षित व्यक्ति को भी ईवीएम मशीन पर अंगुली उठाते हुए देखते हैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति का तकनीकी मशीन के बारे में दूर-दूर तक सोच समझ नहीं सकता।

3. दूसरे देशों द्वारा मान्यता

विश्व के अनेक देशों में कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने ईवीएम को अमान्य करार दे दिया। जिसमें नीदरलैंड और जर्मनी प्रमुख है। क्योंकि वहां विश्वास और पारदर्शिता का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्हीं की तर्ज पर भारत में भी बहस की प्रक्रिया तेज हो गई है जिसमें ईवीएम पर भरोसा कम होता है जा रहा है।

4. लोगों के विश्वास में कमी

हमारे भारत में लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर निर्भर है। क्योंकि लोकतंत्र तकनीकी प्रक्रिया पर आधारित नहीं है बल्कि लोगों की भावनाओं व विश्वास पर टिका हुआ है। यदि लोगों का मशीन से विश्वास उठ जाए तो चुनाव के प्रति मोहभंग हो जाएगा और आने वाले चुनाव में मतदाताओं की अनुपस्थिति ज्यादा संख्या में दर्ज होगी।

चुनाव आयोग द्वारा सुधार हेतु उपाय

1. VVPATको सिस्टम से जोड़ना

चुनाव आयोग ने 2013 में ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी को इसलिए जोड़ा की मतदाता वोट देकर यह देख सकता है कि जो वोट दिया वह सही प्रत्याशी को गया या नहीं।

2. मॉक पोलिंग और रेंडम

इसमें प्रत्याशियों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में मतदान से पूर्व मशीनों की मॉक पोलिंग होती

है। उसके बाद परीक्षण के लिए मशीनों की रेंडम पद्धति अपनाई जाती है।

3. सुरक्षा व देखरेख

इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदान कर ने के बाद एवं मशीनों को सील कर सुरक्षित स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाता है।

4. तकनीकी उन्नति

EICL और BEL दोनों कंपनियां ईवीएम मशीनों में सुरक्षा की दृष्टि से सुधार कर रहे हैं।

ईवीएम और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य

आज आधुनिक युग तकनीकी का युग जिसमें ईवीएम मशीन आने के कारण भारत की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को ही बदल डाला है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के कारण चुनाव के परिणाम कुछ ही समय में घोषित कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र नागरिकों के विश्वास पर टिका हुआ है, तकनीकी पर नहीं। इसलिए लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं को समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए इसलिए लोकतंत्र का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब ईवीएम मशीन को विश्वसनीय व पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही जनता को हर तकनीकी पहलू अपने से पहले उनको उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। वीवीपीएटी की पर्चियो की गिनती की संख्या में वृद्धि की जाए , आम नागरिक व विपक्ष के दलों की भ्रांति को दूर करने के लिए खुला मंच होना चाहिए।

निष्कर्ष-

भारतीय लोकतंत्र में ईवीएम मशीन ने चुनाव प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किया। जिसमें मतगणना कम समय में निष्पक्ष रूप से होने चाहिए। इसके आधार पर धांधली व बूत कैपचरिंग जैसी समस्या का समाधान हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय व चुनाव आयोग ने इसे विश्वसनीय व सुरक्षा की दृष्टि से उचित माना है। लोकतंत्र तकनीक पर आधारित नहीं होकर पारदर्शिता व लोक विश्वास पर आधारित थे ।इसलिए चुनाव आयोग को समय-समय पर हमेशा सुधार करता रहना चाहिए। जिससे लोगों की भ्रांति दूर हो सके ।तभी ईवीएम लोकतांत्रिक तरीके से विश्वसनीय व तकनीकी रूप से पारदर्शी व सुरक्षित रह सकता है।

REFERENCES

1. सिंह, रमेश कुमार - भारतीय निर्वाचन प्रणाली (नई दिल्लीः प्रकाशन संस्थान, 2015)

2. शर्मा, जगदीश - भारतीय लोकतंत्र और निर्वाचन सुधार (राजकमल प्रकाशन, 2016)

3. Saxena, Rekha - Indian Democracy: Institutional Framework and Challenges (New Delhi: Sage Publications, 2014)

4. Pal, Manoj - Electoral Reforms in India (Concept Publishing Company, 2018)

5. Rai, Praveen Kumar - Elections and Electoral Reforms in India (New Century Publications, 2020).

6. Election Commission of India (ECI) Handbook for Returning Officers (2019 Edition).

7. Election Commission of India - Status Paper on EVM and VVPAT (2017).

8. Law Commission of India - Report on Electoral Reforms (255th Report, 2015).

9. Supreme Court of India - Subramanian Swamy vs Election Commission of India (2013, VVPAT संबंधी निर्णय).

10. Gupta, Shekhar - "Electronic Voting Machines: Trust and Transparency Issues in India," Economic and Political Weekly, Vol. 52, Issue 39 (2017).

11. Yadav, Yogendra - "Electoral Politics in India: EVMs and the Crisis of Trust," Studies in Indian Politics, Vol. 6, Issue 2 (2018).

12. Palshikar, Suhas - "Democracy, Elections and Technology: The Indian Experience," Journal of Democracy in South Asia, 2019.

13. Election Commission of India -https://eci.gov.in.

14. PRS Legislative Research - Reports on Electoral Reforms, 2019.

15. Association for Democratic Reforms (ADR) - Studies on Electoral Transparency.